-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर बांदा पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।**
- **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, रिवाल्वर, पिस्टल कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। 01 अभियुक्त को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त देवराज पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण में जा चुका है जेल।**
- **अभियुक्त द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किया जा रहा था अवैध शस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्माण। निर्मित पिस्टल व रिवाल्वर की 30-35 हजार व अवैध तमंचों की 07 से 08 हजार रुपये प्रति तमंचा बांदा व उसके आस-पास के जनपदो में बिक्री की थी तैयारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल रुप से प्रभावित कर सकने वाले अराजक तत्वों की विरुद्ध की जा रही कठोर कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों के साथ **01 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना **कालिंजर पुलिस** दिनांक 14/15.04.2024 की रात्रि उ0प्र0-म0प्र0 की **अन्तर्राज्यीय सीमा मोकक्ष बैरियर** पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा **बागै नदी के किनारे खेरा पति मन्दिर ग्राम गोपरा के पास बीहड़** में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी की गई जिसमें एक अभियुक्त को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त **देवराज द्वारा बताया गया कि वह वर्ष-2007 थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में अवैध शस्त्रों का निर्माण** करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसमें वह जेल भी गया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहा था तथा निर्मित शस्त्रों को वह बांदा, पन्ना और आसपास के जनपदों में **तमंचों को 07-08 हजार** रुपये में व **पिस्टल तथा रिवाल्वर को 30-35 हजार रुपये** में बेचता था। पुलिस द्वारा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एक बड़ी कार्यवाही की गई है।

बरामदगी-

- 05 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 03 अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 01 अवैध देशी रिवाल्वर 32 बोर
- 01 अवैध अर्द्धनिर्मित पिस्टल 32 बोर
- 02 अवैध अर्द्धनिर्मित तमन्चा 315 बोर
- 06 नाल पाइप लोहा
- 07 अवैध जिन्दा कारतूस
- 03 अवैध खोखा कारतूस
- धौंकनी, ड्रिल मशीन, निहाई, आरी, स्प्रिंग तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

<u>नोट कुल बरामदगी-</u> कुल 09 निर्मित व 03 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा/पिस्टल/रिवाल्वर, 07 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस, 06 नाल पाइप लोहा व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवराज पुत्र श्रीकृष्ण नि0 तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा हाल पता नवाब टैंक थाना कोतवाली नगर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 70/24 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त देवराज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 426/2007 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 263/2009 धारा 110G सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 157/2016 धारा 135(1)(e) विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली नगर बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कालिंजर श्री जयचन्द्र सिंह
2. चौकी प्रभारी हनुमंतधाम गुढ़ाकला श्री सुभाष चन्द्र
3. उ0नि0 श्री रवीन्द्र नाथ दुबे
4. प्रशिक्षु उ0नि0 उत्कर्ष सिंह
5. कां0 पंकज कुमार
6. कां0 खेमराज
7. कां0 मिथिलेश कुमार
8. कां0 सत्यम गुर्जर
9. म0कां0 पूनम